न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 32/2022/अपील/एलआरएक्ट/कोटा

दायरा दिनांकः 9.3.2022

अन्तर्गत धाराः 75 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

नन्दसिंह पुत्र छगन सिंह जाति राजपूत निवासी जगपुरा तहसील लाडपुरा (मृतक) जरिये का0 मुका0–
1/1– शकुन्तला पत्नी स्व0 नन्दसिंह
1/2– हनुमान सिंह पुत्र स्व0 नन्दसिंह
1/3– मनकंवर उर्फ मानकंवर पुत्री स्व0 नन्दसिंह
1/4– सुशीला कंवर पुत्री स्व0 नन्दसिंह
1/5– अमरसिंह पुत्र स्व0 नन्दसिंह (मृतक) जरिये कायम मुकामान–
1/5/1–पदम कंवर पत्नी स्व0 श्री अमर सिंह
1/5/2–मनमोहन पुत्र स्व0 अमरसिंह
1/5/3–हर्षिता पुत्री स्व0 अमरसिंह
1/6– बहादुर सिंह पुत्र स्व0 नन्दसिंह (मृतक) जरिये कायम मुकामान–
1/6/1–कमलेश कंवर पत्नि स्व0 बहादुर सिंह
1/6/2–परमवीर सिंह (नाबालिग) पुत्र स्व0 बहादुर सिंह
1/6/3–भारती उर्फ धनकंवर (नाबालिग) पुत्री स्व0 बहादुरसिंह
1/6/4– पिन्टू (नाबालिग) पुत्री स्व0 श्री बहादुर सिंह

...अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा–राज0।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत अभिभाषक –अपीलार्थी
पैरोकार सरकार–रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 22.5.2024

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 108/2000 (प्रा0 पत्र–आवंटन निरस्तीकरण) बउनवान राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा बनाम नन्दसिंह पुत्र छगन सिंह जाति राजपूत निवासी जगपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा मे पारित निर्णय दिनांक 22.2.2003 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

अति. संभागीय आयुक्त
कोटा

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत नन्दसिंह पुत्र छगन सिंह जाति राजपूत निवासी जगपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा को ग्राम उम्मेदपुरा स्थित खसरा नम्बर 142 रकबा 0.95 है0 भूमि दिनांक 11.6.1999 को आवंटन की गई। तहसीलदार लाडपुरा ने आवंटी एनटीपीसी अन्ता मे नौकरी करने तथा सद्भाविक कृषक नही होने की आवंटन सलाहकार समिति द्वारा जांच नही कर भूमि का आवंटन कर दिये जाने के कारण आवंटी को किया गया आवंटन, आवंटन नियम 14 (4) के अन्तर्गत निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 22.2.2003 से स्वीकार कर उक्त आवंटन को निरस्त किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत दिनांक 8.2.2021 को न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि अपीलांट भूमिहीन काश्तकार की तारीफ मे आता है एंव भूतपूर्व सैनिक है तथा सैनिक बोर्ड की सिफारिश पर भूमि आवंटित की गई थी तब से ही अपीलांट भूमि पर काबिज है। कानूनन तकनिकी आधारों पर आवंटन निरस्त नही किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एंव सामग्री का विश्लेषण एंव विवेचन करने मे तथ्यों एंव विधिक त्रुटि की है अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है। अपीलांट के वकील ने पेशी पर आने से मना कर रखा था तथा आवश्यकता होने पर बुलाने की कहा था। अपीलांट अपने अधिवक्ता के भरोसे पर रह गये लेकिन अपीलांट के अधिवक्ता ने अपीलांट को कोई सूचना नही दी। अपीलांट को जेरअपील आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 19.1.2021 को पटवारी द्वारा भूमि से बेदखल करने की धमकी देने तथा आवंटन खारिज होने की बात कहने पर होने पर नकल प्राप्त की जो दिनांक 25.1.21 को प्राप्त होने पर तुरन्त अपील पेश की गई। अतः सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक 19.1.21 से नकल मिलने की अवधि मुजरा करते हुये अपील अवधि मध्य मानते हुये धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है। अपीलांट द्वारा निर्णय जेरअपील के विरूद्ध पूर्व मे अपील पेश प्रस्तुत नही की है अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे एंव अपीलार्थी का आवंटन बहाल रखे जाने जाने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि अपीलांट भूमिहीन काश्तकार है एंव भूतपूर्व सैनिक है तथा सैनिक बोर्ड की सिफारिश पर भूमि आवंटित की गई थी तब से ही अपीलांट भूमि पर काबिज है। कानूनन तकनिकी आधारों पर आवंटन निरस्त नही किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एंव सामग्री का विश्लेषण एंव विवेचन करने मे तथ्यात्मक एंव विधिक त्रुटि की है। बहस आगे बताया कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 19.1.21 को पटवारी द्वारा भूमि से बेदखल करने की धमकी देने तथा आवंटन खारिज होने की बात कहने पर होने पर दिनांक 15.1.21 को नकल प्राप्त कर अपील पेश की गई। अतः सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक 19.1.21 से अपील अवधि मध्य धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है। अपील स्वीकार की जावे।

4 पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे जेरअपील निर्णय न्यायोचित होना जाहिर करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने पत्रावली पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा जिला कलक्टर कोटा द्वारा प्रकरण सं0 108/2000 बउनवान राज0 सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा बनाम नन्दसिंह आ0 छगनसिंह जाति राजपूत निवासी जगपुरा तहसील लाडपुरा मे पारित आलौच्य जेरअपील निर्णय दिनांक 22.2.2003 के विरूद्ध इस न्यायालय मे अपील दिनांक 8.2.2021 को लगभग 18 वर्ष विलम्ब से पेश की गई। अपीलार्थ द्वारा अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी पटवारी द्वारा दिनांक 19.1.21 को भूमि से बेदखल करने की

सं. आयुक्त
कोटा

धमकी देने तथा आवंटन खारिज होने की बात बताने पर होने पर नकल प्राप्त कर जानकारी की तिथी से अपील अवधि मध्य पेश करना वर्णित करते हुये अपील के साथ डिले कन्डोन हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एंव स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया। अतः अपील का गुणावगुण पर विचार करने से पूर्व विधि अनुसार मियाद के बिन्दू का निस्तारण किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। जेरअपील अपील निर्णय 22.2.2003 जिला कलक्टर कोटा द्वारा पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि नन्दसिंह (मृतक) द्वारा जिला कलक्टर कोटा के जेरअपील निर्णय दिनांक 22.2.2003 के विरूद्ध पूर्व मे न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के न्यायालय मे अपील संख्या 39/2010 उनवान नन्दसिंह बनाम सरकार पेश की जा चुकी है जिसमे उक्त न्यायालय द्वारा उभय पक्षकार की उपस्थिति मे दिनांक 3.12.2010 को पारित निर्णय अनुसार अपील अपीलांट खारिज की गई। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील प्रकरण मे, अपील मीमो मे निर्णय जेरअपील 22.2.2003 के विरूद्ध पूर्व मे अपील प्रस्तुत नही की गई वर्णित करते हुये पुनः न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत की गई हस्तगत अपील मे जिला कलक्टर कोटा का निर्णय दिनांक 22.2.2003 निरस्त करने का अनुतोष चाहा गया जो विधि के प्रतिकूल है, क्योंकि अपीलार्थी द्वारा इस जेरअपील आदेश को पूर्व मे न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के चुनोती दी जा चुकी है। अपीलार्थी द्वारा उक्त तथ्यों को छिपाते हुये न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास करते हुये पुनः अपील न्यायालय हाजा मे पेश कर न्यायालय का समय बर्बाद किया है। ऐसी स्थिति मे अपील एंव प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम तथा शपथ पत्र मे अपीलांट द्वारा अपील पेश करने मे हुये विलम्ब का कारण "पटवारी द्वारा दिनांक 19.1.21 को भूमि से बेदखल करने की धमकी देने तथा आवंटन खारिज होने की बात बताने पर जेरअपील आदेश की सर्वप्रथम जानकारी होने"। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख अनुसार सरासर गलत एंव असत्य अंकित कर न्यायालय को गुमराह किया गया है।

6 अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम असत्य एंव गलत तथ्यों पर आधारित होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। तद्नुसार अपील अपीलांट मियाद बाहर होने एंव पोषणीय (मेन्टेनऐबल) नही होने से खारिज की जाती है।

7 निर्णय आज दिनांक 22.5.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा